न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –358/2015

अनवान : –

1. कमला पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. मैना देवी पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सरदारी पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादीयान

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र लुणाराम जाति नायक निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र शान्ति पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना हाल निवास नेठराना तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री शान्ति पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना हाल निवास नेठराना तहसील भादरा।
4. कालुराम पुत्र शान्ति पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना हाल निवास नेठराना तहसील भादरा– फौत

   4/1. धारा देवी पत्नी कालुराम 4/2. अनिल पुत्र कालुराम 4/3. सुनील पुत्र कालुराम जाति नायक निवासीगण फेफाना हाल नेठराना तहसील भादरा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
7. कविता पत्नी चानणमल जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. कुरड़ाराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थिति :–1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री हवासिंह गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः** 23/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 की दादालाही खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 5 ए– बारानी तहसील नोहर के खाता सं. पुराना 181/155 व खाता सं. नया 233 के प.न. 343/382 मु.न. 14 के किला नं. 21 व 22 की 0.5060 हैक्टर प.न. 343/383 मु.न. 33 के किला नं. 1/1 की 0.0260 हेक्टर भूमि गै.मु. रास्ता, 1/2 की 0.227 हैक्टर, 2/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 2/2 की 0.2270 हैक्टर भूमि किला नं. 9 ता 11 की 0.7[illegible] भूमि, 12 की 0.2530 हैक्टर, 19 ता 21 की 0.7590 हैक्टर, प.न. 342/[illegible] 14 ता 16 की 0.7590 हैक्टर, 25 की 0.2530 हैक्टर भूमि कुल तादादी 3.7950 हैक[illegible] बारानी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि वादी के दादा की पैदा कर्दा भूमि थी तथा वादीगण के पिता जो कर्ता खानदान था वह काश्त करता था तथा परिवार के मुखिया होने के कारण समस्त भूमि अकेले के नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गयी जबकि इसलिए लुणाराम के नाम दर्ज भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है यही बिनाय दावा है।लुणाराम के जायज वारिसान पांच लड़के लड़किया हुई इसलिए कमला, मैनादेवी, रामप्रताप, सरदारी, व शान्ति का ब.हि.ब. हक व हिस्सा था शान्ति फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिसान मोहनलाल, कालुराम, सरोज हुऐ जिनका 1/5 हिस्सा में ब.हि.व. था अर्थात 1/15, 1/15 हिस्सा, था तथा कालुराम फौत हो चुका है उसके 1/15 हिस्सा में प्रतिवादी रु. 4/1 से 4/3 का ब.हि.ब. हक व हिस्सा है इसी अनुसार वादी हक व हिस्सा की घोषणा करवापाने के अधिकारी है।लुणाराम की मृत्यु के पश्चात विरास्तन इन्तकाल सं. 185 समस्त वारिसान के नाम सही दर्ज किया गया किन्तु बिना पक्षकारान को व 5. यादीयान को नोटिस दिये दूर, वित्रा सुनवाई के फर्जकारी करते हुऐ बिना साक्ष्य अदालत के आदेश के बावजुद इन्तकाल पर खारीज लिखां जाकर नया इन्तकाल सं 193 अकेले प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में दर्ज कर दिए जो कुटरचित दस्तावेज था तथा वादियान के हक व हिस्सा का हनन करने वाला था इसलिए इन्तकाल सं. 193 चक 5 ए– बारानी तहसील नोहर वादियान के हको के मुकाबिले शुन्य थी घोषणा करा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि की विभिन्न दावो के साथ प्रस्तुत स्थगन आदेश के जारी रहते हुऐ दिनांक 05/5/2017 को प्रतिवादी सं. 7 के पक्ष में एक नूमाईशी वैयनामा बिना हक व हिस्सा देते हुऐ भी प्रतिवदी सं. 1 ने कराया है तथा एक बैयनामा दिनांक 30/11/2015 को प्रतिवादी सं. 8 के पक्ष में करा दिया दोनो बैयनामा जन्मजात शुन्य है तथा वादीया के हको के मुकाविले शुन्य है इसलिए न्यायालय से घोषणा करापाने के अधिकारी है के रोही मौजा चक 5 ए– बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के खाता सं. 233 की कुल 3.7950 हेक्टर भूमि में वादीयान का 3/5 हिस्सा ब.हि.ब. तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 3 व 4/1 से 4/3 का 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. हक व हिस्सा है इसलिए बैयनामा दिनांक 5/5/2017 बहक प्रतिवादी सं. 7 व वैयनामा दिनांक 30/11/2015 बहक कुरडाराम प्रतिवादी स. 8 का वादीयागण व प्रतिवादी सं. 2, 3 व 4/1 से 4/3 के 4/5 हिस्सा तक बैयनामा शुन्य घोषित करापाने की अधिकरी है यही घोषणा करापाने के अधिकारी है।प्रतिवादी सं. 1 व 7 व 8 बहुत तेज तर्रार है जो फर्जी वैयनामों के आधार पर भूमि में दखल देना चाहते है तथा भूमि को फरोख्त करने पर उतारू है तथा कब्जा काश्त में दखल देगे जिससे वादीयान जो औरतजात है को अपूर्णीय क्षति होती है अत जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करापाने के अधिकारी है।

वादीयान ने पूर्व में प्रतिवादी को कई बार कहा कि व फर्जी वैयनामें के आधार पर दर्ज तथा स्थगन आदेश जारी रहते बैयनामें [illegible] रिकार्ड में अंकन होने को दुरूस्त कराने व वादियान का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने को कई बार कहा किन्तु वर्तमान में दावा चलने के दौरान ही मना कर दिया इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

दावा पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उतरदाता का विवादित भूमि को फरोक्त करने का उदेश्य नही है उत्तरदाता विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उसके खिलाफ किसी प्रकार कि निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जा सकती वाद खारिज योग्य है। वाद वादियागण बैयनामा दिनांक 5–5–2017 को खारीज करवाने के लिए पेश किया है जो इस अदालत के क्षेत्राधिकार का नहीं है तथा वाद वादियागण इस अदालत के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के आधार पर खारीज योग्य है। विवादित भूमि प्रतिवादिया न. 7 ने जरिये बैयनामा दिनांक 5–5–2017 से खरीद की है विवादित भूमि चक न. 5ए बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी के खाता संख्या 210/181 की कुल तादादी 3.7930 हैक्टेयर भूमि में से 3.287 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादिया न. 7 ने जरिये बैयनामा दिनांक 5–5–2017 को पुर्ण प्रतिफल देकर खरीद की थी जिसका कब्जा मोके पर प्राप्त कर लिया था विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर आजतक लगातार कब्जा कास्त में चली आ रही है जब तक बैयनामा दिनांक 5–5–2017 प्रभाव में है तब तक वादियागण इस अदालत से किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नहीं है इसलिए वाद इस अदालत के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारीज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीयान खारिज किया जावे।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. **आया वाद भूमि चक 5 ए बारानी के खाता स0 210/181 की 3.7930 हैक्ट भूमि वादीगण की दादालाई भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी का जन्मजात हक हिस्सा है?**

   –वादीयान
2. **आया रामप्रताप के नाम दर्ज भूमि में वादीगण प्रत्येक 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नं० 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी 2 ता 4 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के हकदार है ?**

   –वादीयान
3. **आया प्रतिवादी नं० 1 के खिलाफ निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है ?**

   –वादीयान
4. **आया वादीगण विवादित भूमि के किसी श्रेणी के टिनेंट नहीं है। वाद मैनटेन देने का पता नहीं होने के कारण खारिज योग्य है?**

   –प्रतिवादी स0 7
5. **आया वाद वादीगण कब्जा के अभाव में खारीज योग्य है?**

   –प्रतिवादी स0 7
6. **आयावाद अदालत के क्षेत्राधिकारी का नहीं। वाद पर क्या असर है?**

   –प्रतिवादी स0 7
7. **आया बैयनामा दिनांक 05.05.2013 जब तक प्रभाव में है, वादीगण इस अदालत से किसी प्रकार की घोषणा नहीं करवा सकते ?**

   –प्रतिवादी स0 7
8. **दादरसी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात कायम होने ... लिये गये वादीगण ने शपथपत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा की गई व अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2070–73रोही मौजा चक 5 ए बारानीईएक्सपी–1,

पर्चा खतौनी ग्राम फेफानाईएक्सपी–2, जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा चक 5 ए बारानी खाता स0 233 ईएक्सपी–3, नकल नामान्तरण रजि0 चक 5 ए बारानी नामान्तरण संख्या 185 ईएक्सपी– 4, नकल नामान्तरण संख्या 5 ए बारानी नामान्तरण स0 193 ईएक्सपी–5 व चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 05.05.2027 बहक कविता पेश कियें।

प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रतिवादी में अपना शपथ पत्र एव अपने जबाब दावा के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रति बैयनामा दिनांक 05.05.2017 बहक कविता ईएक्सडी– 1 पेश किये।

उभयपक्षों को जबाब/साक्ष्य सबुत पेश करने का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई प्रतिवादी के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल है

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन के अवलोकन के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

तनकी नम्बर 1:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीयान पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्सपी–2 के मुताबिक रोही मौजा 5 ए बारानी की भूमि पूर्व में लुणा के नाम दर्ज थी जो की वादीयान का पिता था। लुणाराम के देहान्त के बाद उसके सभी वारिसान के नाम दर्ज होनी थी जिसके लिये नियमानुसार नामान्तकरण भी दर्ज किया गया किन्तु लूणा के विरास्तन नामान्तकरण को खारिज किया गया जाकर प्रस्तुत ईएक्सपी–5 नामान्तरण के मुताबिक उक्त भूमि अकेले प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज की गई जो विधि सम्मत नही है क्योकि पूर्व लूणा का विरास्तन नामान्तकरण सभी वारिसान के नाम से दर्ज किया गया था को किस कारण से खारिज किया गया किसी प्रकार का अंकन नही किया तथा लूणा के सभी वारिसान के नाम भूमि दर्ज ना की जाकर अकेल रामप्रताप के नाम दर्ज करने का कोई यूक्तियक्त कारण भी अंकित नही किया ना ही कोई दस्तावेज संलग्न किया जिसके आधार पर अकेले रामप्रताप प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज की जा सकती थी।

लुणाराम के सभी वारिसान के नाम दर्ज नही हुई है क्योंकि लुणाराम के देहान्त के बाद वाद भूमि सभी वारिसान के नाम दर्ज होनी थी क्योकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार स्पष्ट है कि भूमि पैतृक सम्पति थी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार लूणा के देहान्त होने के बाद लूणा के सभी वारिसान का बराबर का हक हिस्सा था लूणा के सभी वारिसान के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी अर्थात वाद भूमि पैतृक भूमि है एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक भूमि में पुत्र व पुत्रीयों का बहिब जन्मजात हक हिस्सा है लूणा के देहान्त होने पर अकेले रामप्रताप प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि विधि विरूप से दर्ज की जानी पाई जाती है जिसे लूणा के समस्त वारिसान अपने नमा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादीयान तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करने में सफल रहने के कारण तनकी न0 1 का निर्णय वादीयान के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 :–इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीयान पर था यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

मुताबिक लुणाराम के देहान्त के बाद उसके सभी वारिसान अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः उक्त तनकी न0 2 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 3</u> :–इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीयान पर था यह तनकी, तनकी न0 1 व 2 पर आधारित है जिनका निर्णय हो चुका है वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीयान, प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा की डिकी जारी करवाने की अधिकारी है अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 4</u> :–इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। यह सही है कि वादियान वर्तमान में वाद भूमि के किसी भी श्रेणी के टिनेंट नही है लेकिन वाद भूमि पूर्व में वादीयान के पिता के नाम दर्ज थी एवं उनके देहान्त के बाद वादीयान का भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जनमजात बराबर का हक हिस्सा था जो की वादीयान के नाम दर्ज होना था अतः उक्त तनकी का निर्णय खिलाफ प्रतिवादी बहक वादी किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 5</u> :–उक्त तनकी का भार प्रतिवादी पर था। उक्त तनकी न0 1 व 2 पर आधारित है। कब्जा के संबंध में वादी व प्रतिवादी द्वारा दोनो द्वारा ही कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। उक्त वाद हकों की घोषणा के लिए किया गया है एवं पूर्व में वाद भूमि सायलान के पिता के नाम दर्ज थी उनके बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज होनी थी इसलिए कब्जा के आधार पर वाद वादीयान खारिज किया जाना न्यायोचित है अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादीयान खिलाफ प्रतिवादी किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 5</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी स0 7 का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा दिनांक 05.05.2013 को प्रतिवादी स0 7 के पक्ष में बैयनामा किया गया है एवं बैयनामा को सुनने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है। लेकिन अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2023(1) पेज न0 372 ता 375 "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 7, नियम 11–राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88 एवं 183–क्षेत्राधिकारिता के अभाव में वाद खारिज किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अपास्त किया तथा गुणागुण पर निर्णीत करने हेतु वाद प्रतिप्रेषित किया–वादी ने अभिवचन किया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है और उसके हिस्से था दावा किया–कोई व्यक्ति जब उसके हिस्से से अधिक भूमि हस्तान्तरित कर रहा है, ऐसा दस्तावेज शून्य व अवैध है और बिना निरस्त कराये राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि में हिस्सा निर्धारित कर सकता है–वांद पत्र में किये प्रकथनों से वाद विचारण की राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता है–निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी ने कोई त्रुटि नही की" अतः उपरोक्त विवेचनास्वरूप उक्त प्रतिवादी अपने हक हिस्सा की भूमि को ही विक्रय पत्र या स्थानान्तरण कर सकता था लेकिन प्रतिवादी द्वारा समस्त भूमि का बैनामा किया गया है। अतः इस तनकी का निर्णय भी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

तनकी नम्बर 6 :–इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। यह तनकी, तनकी न0 5 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद भूमि पूर्व में लूणा के नाम से दर्ज थी लूणा के देहान्त होने के बाद लूणाराम के वारिसान वादीयान एव प्रतिवादीगण है जो उक्त पैतृक सम्पति को पाने के अधिकारी थे लूणाराम के वारिसान के नाम नियमानुसार विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया भी गया था जो पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु उसे खारिज कर दिया गया किस कारण से खारिज किया गया अंकित नही किया गया पुनः लूणा के नाम दर्ज वाद भूमि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 210/181 की कुल 3.7930हैक भूमि अकेल रामप्रताप के नाम दर्ज करने का नामान्तकरण दर्ज/तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप के नाम से भूमि दर्ज कर थी

लूणा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से रामप्रताप अकेले के नाम भूमि विधि विरूद्व रूप से दर्ज की गई थी लूणा के देहान्त होने पर उसके समस्त वारिसान का बराबर का हक हिस्सा था लूणा के सभी वारिसान के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी

लूणा के देहान्त होने के बाद अकेल रामप्रताप से अपने अकेले के नाम भूमि दर्ज करवाई जाकर दिनांक 05.05.2017 को वाद भूमि कुल 3.7930हैक में से 3.287हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 7 को बेचान कर दी एवं दिनांक 30.11.2015 को 0506हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को बेचान कर दी गई अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप ने अपने पिता लूणा के देहान्त होने के बाद विधि विरूद्व रूप से समस्त भूमि अपने नाम कर विधि विरूद्व रूप से वादिया के हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 ,8 को बेचान कर दिया गया जिसका की प्रतिवादी संख्या 1 अधिकारी नही था प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा तक ही भूमि बेचान करने का अधिकार रखता था अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान वादीया के हक हिस्सा के मुकाबले शुन्य है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने लूणा के देहान्त होने के बाद रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 233 की कुल 3.7950हैक भूमि मे से 1/5 हिस्सा भूमि पाने का अधिकारी था अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप वाद भूमि में से केवल 0.7586हैव भूमि पाने का अधिकारी था प्रतिवादी संख्या 1 0.7586 हैक भूमि को बेचान करने का अधिकार रखता था अर्थात 0.7586हैक तक का बेचान वादीयान के हकों के मुकाबले विधिमान्य किया जा सकता है प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 30.11.2015 को 0.506हैक भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 8 को किया गया था से वादीयान के हक प्रभावित नही होते है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 05.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में 3.287हैक का बेयनामा करवाने से वादियान के हक प्रभावित होते है क्योकि की प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व बेयनामा के बाद केवल 0.252हैक भूमि का ही बेचान करने का अधिकार रखता था शेष भूमि वादीयान व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हिस्सा की भूमि थी जिसे प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान करने का अधिकार नही था

प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा द्वितीय बेयनामा जो प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता स 233 की कुल 3.7[illegible]0 है में से 3.287हैक का करवाया गया है में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

से केवल प्रतिवादी संख्या 1 केवल 0.252हैक भूमि का बेचान करने का अधिकार रखता था शेष 3.035 हैक का बेयनामा लूणाराम के शेष वारिसान के हक हिस्सा का होने के कारण शुन्य है शेष 3.035हैक भूमि वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वे अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीयान के द्वारा प्रस्तुत न्यायियक दृष्टान्तो के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा लूणा के देहान्त होने के बाद विधि विरूद्व रूप से पैतृक सम्पति अपने नाम दर्ज करवाई जाकर प्रतिवादी संख्या 7 ,8 को बेचान की गई थी में से वादीयान एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अपने हक हिस्सा तक बैयनामा शुन्य करवाया जाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात वादीयान का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादीयान का वाद साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5ए बारानी के खाता संख्या 233 की कुल 3.7950हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप के नाम 13/15 हिस्सा अर्थात 3.289हैक भूमि दर्ज है में रामप्रताप पुत्र लूणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 सयुक्त तौर से 1/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 0.252हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23/09/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान : –

1. कमला पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. मैना देवी पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सरदारी पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादीयान

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र लुणाराम जाति नायक निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र शान्ति पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना हाल निवास नेठराना तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री शान्ति पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना हाल निवास नेठराना तहसील भादरा।
4. कालुराम पुत्र शान्ति पुत्री लुणाराम जाति नायक निवासी फेफाना हाल निवास नेठराना तहसील भादरा– फौत

   4/1. धारा देवी पत्नी कालुराम 4/2. अनिल पुत्र कालुराम 4/3. सुनील पुत्र कालुराम जाति नायक निवासीगण फेफाना हाल नेठराना तहसील भादरा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
7. कविता पत्नी चानणमल जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. कुरड़ाराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 358 सन 2015 निर्णय दिनांक– 23/09/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयान श्री महेशचन्द्र शर्मा एव अधिवक्ता प्रतिवादी श्री हवासिह पुनीया एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीयान साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5ए बारानी के खाता संख्या 233 की कुल 3.7950हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप के नाम 13/15 हिस्सा अर्थात 3.289हैक भूमि दर्ज है में रामप्रताप पुत्र लूणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 सयुक्त तौर से 1/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 0.252हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हइसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)